

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- एफएसएसए/2020/1015

दिनांक:- 24/12/2020

- समस्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।

विषय:- **Surveillance and enforcement to check the use of Golden Syrup/Invert Sugar Syrup/Rice Syrup in honey** अभियान पर खाद्य पदार्थों के प्रभावी नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु विशेष अभियान "शुद्ध के लिए युद्ध" दिनांक 28.12.2020 से 30.12.2020 तक आयोजित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खाद्य पदार्थों की मांग/खपत बढ़ने के कारण बाजार में खाद्य सामग्रियों के अभाव के कारण अनेक निर्माता/व्यापारियों द्वारा अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की बिक्री बाजार में किये जाने की सम्भावना है। अतः अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी अंकुश/नियंत्रण हेतु आप अपने सम्भाग/जिलों में दिनांक 28.12.2020 से 30.12.2020 तक सभी प्रकार के शहद (honey) Manufacturing Units आपके अधिन नमूनीकरण/निरीक्षण की प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त अभियान में प्रत्येक जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रतिदिन 05 नमूनीकरण का लक्ष्य आवंटित किया जा रहा है। अभियान के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जावे।

आदेश की पालना नहीं करने पर सम्बंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। अभियान की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन नियमित रूप से एफएसएसए अनुभाग की ईमेल आईडी [adrh-rj@nic.in](mailto:adrh-rj@nic.in) पर निम्न प्रपत्रानुसार सॉफ्ट कॉपी (एक्सल शीट) में एवं हस्ताक्षरसहित हार्ड कॉपी भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें; प्रतिदिन सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि जिले में विशेष अभियान के अन्तर्गत नमूनीकरण/निरीक्षण नहीं किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बंधित अभिहित अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी की होगी।

प्रपत्र

निरीक्षण एवं नमूनीकरण की सूचना प्रपत्र					
जिले का नाम:-.....			दिनांक:-.....		
क्र० सं०	निरीक्षण की संख्या		सर्विलेन्स के तहत नमूनीकरण की संख्या	नष्ट एवं सीज माल का विवरण	अन्य विवरण
	FOSCORIS के द्वारा	FOSCORIS के बिना	शहद		
1	2	3	4	7	8

संलग्न:- F.No.3(5) 2016/Honey/Enf/FSSAI दिनांक 18.12.2020 की छायाप्रति।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक:- 24/12/2020

क्रमांक:- एफएसएसए/2020/1015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
- निजी सचिव माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
- निजी सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) मुख्यालय।
- समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
- अति0 निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
- संयुक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जौन राजस्थान।
- मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर। [chief.public.analyst@gmail.com](mailto:chief.public.analyst@gmail.com)
- समस्त खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ, राजस्थान।
- समस्त अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राजस्थान को पालनार्थ।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बंधित को ईमेल कर विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड करे।
- रक्षित पत्रावली।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं  
निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

F. No. 3 (5) 2016/Honey/Enf/FSSAI  
Food Safety and Standards Authority of India  
(A Statutory body under Ministry of Health & Family Welfare, Government of India)  
(Regulatory Compliance Division)  
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002

---

Dated, 10<sup>th</sup> December, 2020

To,

The Commissioner of Food Safety of All States/UTs

**Subject: Enhancing surveillance, sampling and enforcement to check the use of Golden Syrup/Invert Sugar Syrup/Rice Syrup in Honey-reg.**

Reference: FSSAI Letters of even No. dated 23.12.2019 & 18.06.2020.

Madam/Sir,

Please refer to the references cited above vide which it was advised to enhance surveillance, sampling and enforcement to check the use of Golden Syrup/Invert Sugar Syrup/Rice Syrup in honey.

2. It is informed that the standards of honey have been prescribed under Sub-Regulation 2.8.3 of FSS (Food Products Standards & Food Additives) Regulations, 2011. In order to ensure the quality of honey and to check adulteration with Golden Syrup/Invert Sugar Syrup/Rice Syrup etc. it was advised vide letters of even No. dated 23.12.2019 & 18.06.2020 that the premises of honey manufacturers are inspected at regular intervals and in case any evidence or presence of the Golden Syrup/Invert Sugar Syrup/Rice Syrup etc. is detected for which the FBO is unable to account to the satisfaction of the Inspecting Officer, the concerned FBOs are required to be prosecuted as per the penal provisions under Section-57 of the FSS Act, 2006.

3. In this regard, it is requested to immediately carry out the inspection of all the honey manufacturing units under your respective jurisdiction with a special focus on the presence/evidence of Golden Syrup/Invert Sugar Syrup/Rice Syrup/ High Fructose Corn Syrup or any other sugar syrups in the premises. Further, in case there is any prima facie indication of the presence of said adulterants in the premises, suitable legal action may be initiated against the FBO, including drawing of enforcement samples as required.

4. The above inspections may be carried out **within 07 days positively** and the reports shall be shared with this Division immediately so that the same may be examined and the findings may be apprised to the Competent Authority.

5. Further, it is also advised that based on the findings of the said inspections, a press release may also be given by the States/UTs to apprise the public about the findings of the said exercise and the actions taken by the concerned Department of Food Safety/FSSAI.

**(Issued with the approval of the Competent Authority.)**

Yours sincerely,



**(R. K. Mittal)**

Head (Regulatory Compliance)

**Copy to:-**

**All the Regional Directors, FSSAI :-** For information and with the request to follow up the matter with the respective States/UTs to ensure timely submission of action taken reports to this office.